VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2341)

Name of Candidate	Prachi chauhan		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1017622
Center	online	Date	21/08/24

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI** & **ENGLISH.**
   इसमें **बीस** प्रश्न हैं **हिन्दी** और **अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

VisionIAS

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VisionIAS

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks. 12.5X20=250

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 से अधिक शब्दों में न दें। उत्तर की कंटेंट उसकी लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों के समान अंक हैं। 12.5X20=250

1. भारतीय संविधान की उद्देशिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, चर्चा कीजिए कि क्या यह संविधान का एक भाग है।

Highlighting the significance of the Preamble to the Indian Constitution, discuss whether it is a part of the Constitution.

[illegible] वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना के महत्व पर बल देते हुए इसे संविधान के सूक्ष्म विश्लेषण संज्ञा दी थी

प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है।

प्रस्तावना का महत्व —

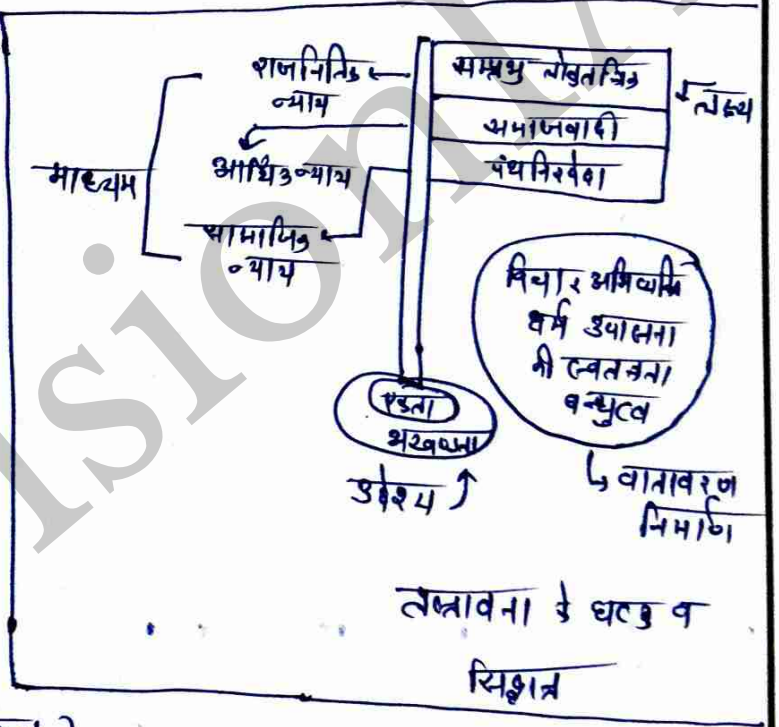

① संविधान की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व (सम्प्रभु लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष गणराज्य)

② संविधान की शक्ति के स्रोत का विवरण। (हम भारत के लोग) (आमजन से शक्ति)

③ संविधान की प्रकृति व दर्शन का विवरण (धर्म उपासना की स्वतंत्रता)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रस्तावना —
- इतिहास को सम्मान (उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित) (राष्ट्रीय आन्दोलन मूल्यों पर आधारित)
- वर्तमान को समाधान (अस्पृश्यता, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक असमानता विरुद्ध (सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय की संकल्पना)
- भविष्य को पहचान (भविष्य की आकांक्षाएं) समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य
  • एकता अखण्डता की रक्षा।

प्रस्तावना व संविधान के भाग के रूप में — विविध न्यायिक निर्णयों में अलग अलग व्याख्या उत्पन्न न्यायालय द्वारा किया जाता।

① गोपालन वाद में - SC ने प्रस्तावना को संविधान की अन्तरात्मा की संज्ञा दी।

② बेरूबारी मामला - SC द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया न ही संविधान शक्ति का स्रोत।

③ केशवानन्द भारती मामला - SC द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, परन्तु यह न तो शक्ति का स्रोत है, न ही उनपर प्रतिबन्ध लगाती है, हालांकि संविधान के व्याख्या के संदर्भ में प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जैसा की न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का कथन है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, व न्यायिक निर्णयों मे भी (संविधान के भाग के रूप मे प्रस्तावना पर सहमति) इसकी पुष्टि करती है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? उन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

What are Parliamentary privileges? Discuss the need for codifying them.

संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका सदस्यों को अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करने के लिए प्राप्त कुछ जरूरी उन्मुक्तियां हैं, जो संविधान अथवा विधि में परिभाषित नहीं है।

संसदीय विशेषाधिकार के स्रोत

- संसदीय परम्पराएँ
- संविधान के प्रावधान (अनु. 105, 194)
- संसदीय कार्यसंचालन नियम
- ब्रिटिश परम्पराएँ

संसदीय विशेषाधिकार

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

- संसद कार्यवाही में विचार अभिव्यक्ति पर न्यायिक कार्यवाही का अभाव।
- संसदीय सत्र के 40 दिन पहले 40 दिन बाद गिरफ्तारी से सुरक्षा।

सामूहिक विशेषाधिकार

- संसदीय कार्यवाही प्रकाशन की शक्ति।
- गुप्त बैठक आयोजन।
- अपमानित को संसद की बैठक से बाहर करने का अधिकार

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संहिताबद्ध करने की आवश्यकता -

① संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की संभावना (सूचीबद्ध न होने के कारण)

② असीमित विशेषाधिकार निर्धारण की संसदीय शक्ति।

③ प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन (विधायी सदस्य अपने संदर्भ में निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होना)।

④ नियन्त्रण संतुलन की अवधारणा के विपरीत (अनुच्छेद 122 न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध)

⑤ मौलिक अधिकारों पर Chilling Effect जिससे विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना।

⑥ प्रशासनिक कार्यकारी जटिलता उत्पन्न करते हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा एम एस शर्मा वाद में विशेषाधिकार व मौलिक अधिकारों में विरोधाभास पर मौलिक अधिकारों को

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्राथमिकता देने की बात कही।

- पीवी नरसिम्हा राव मामले SC द्वारा विशेषाधिकार संहिताकरण पर बल।

अतः विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध कर अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए जैसा संविधान समीक्षा आयोग द्वारा अपनी अनुशंसाओं में कहा गया है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. भारत में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करने में वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the role of the Finance Commission in governing the financial relations between the Union and the states in India.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राजकोषीय संघवाद के सुचारु संचालन के लिए प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग गठन का प्रावधान करता है।

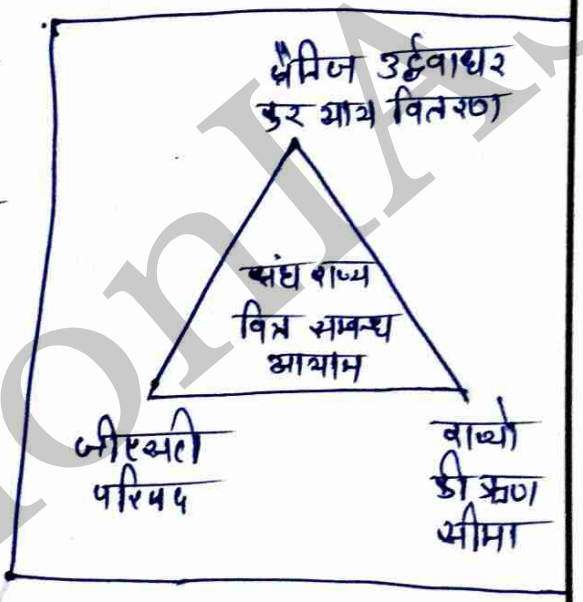

वित्त आयोग की भूमिका

① क्षैतिज व उर्ध्वाधर उर आय का वितरण की अनुशंसा

उदा. 15वाँ वित्त आयोग द्वारा 41% उर्ध्वाधर वित्त हस्तांतरण राज्यो को

क्षैतिज हस्तांतरण (क्षेत्र जनसंख्या, पर्यावरण सुरक्षा उर सुधार आदि आधारो पर)

② राजकोषीय समता स्थापना – वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान की अनुशंसा।

③ पंचवर्षीय निरीक्षण तंत्र, जिससे वित्त प्रशासन मे दृढ़ता सुनिश्चित हो उदा. 15वे वित्त आयोग द्वारा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

तदर्थ आधारित अनुदान प्रणाली व्यवस्था।

(4) विशेषज्ञताप्राप्त निकाय (अर्थशास्त्र, राजकोषीय वित्त जानकर सदस्य होना)

(5) वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना उदा. 15वें वित्त आयोग द्वारा FRBM अनुपालन व राजकोषीय घाटा 4% रखने की अनुशंसा।

वित्त आयोग की सीमाएँ –

(1) वित्त आयोग की अनुशंसाएं बाध्यकारी न होना।

(2) वित्त आयोग की स्थायी प्रकृति का अभाव (5 वर्ष में नियुक्ति)

(3) उपकर अधिभार की बढ़ती संख्या न्यायपूर्ण राजकोषीय वितरण को प्रभावित करता है (वर्तमान विभाज्य पूल का 25% सेस सरचार्ज होना)।

(4) राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों से अपर्याप्त परामर्श लिया जाना।

आगे की राह – राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति में नियमितीकरण (स्थायी आयोग)

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सुब्रमण्यम वित्त आयोग अपनी अनुशंसाओं के पीछे तर्क प्रस्तुत करे।
- संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसा वित्त आयोग की अनुशंसाओं का शीघ्र क्रियान्वन।

जैसा की डॉ अम्बेडकर ने लोकतंत्र के तीन स्तम्भ व राजकोषीय संघवाद को मजबूत बनाने में वित्त आयोग की महती भूमिका का निर्धारण किया है, उसी अनुरूप अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. भारत में न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों की पहचान करते हुए, इन मुद्दों के समाधान हेतु उपाय सुझाइए।

Identifying the issues associated with judicial accountability in India, suggest measures to address these issues.

भारतीय न्यायपालिका संविधान की प्रहरी है, व जनता के विश्वास की आधारशिला है, जो न्यायिक जवाबदेही को अधिक महत्वपूर्ण बना देती है (भारतीय मुख्य न्यायधीश DY चन्द्रचूड)

न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे –

(1) न्यायिक नियुक्ति प्रणाली (कॉलेजियम व्यवस्था) की अस्पष्टता की समस्या जिससे अंकल जज सिंड्रोम को बढ़ावा)

(2) न्यायपालिका का RTI जैसे कानूनों से बाहर होना।

(3) न्यायपालिका में लंबित मामले (विधि मंत्रालय अनुसार 5 करोड़)

(4) न्यायिक सक्रियतावाद से शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का उल्लंघन (NJAC को रद्द किया जाना)

(5) न्यायपालिका में अपर्याप्त विविधता (4 न्यायधीश महिला न्यायधीश SC) में DY चन्द्रचूड द्वारा 50% आरक्षण महिलाओं संदर्भ में)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

न्यायिक जवाबदेहिता उपाय

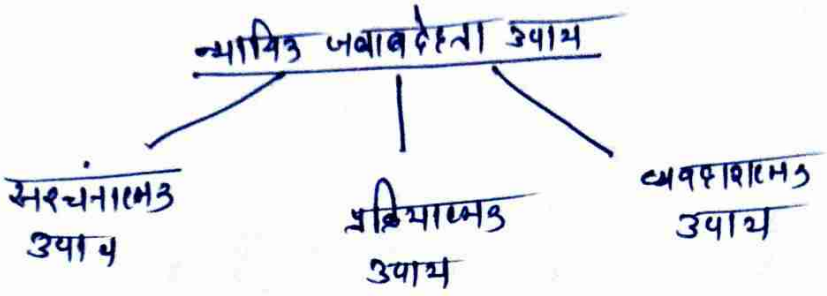

- संरचनात्मक उपाय
- प्रक्रियात्मक उपाय
- व्यवहारात्मक उपाय

संरचनात्मक उपाय –

- 2nd ARC अनुसार न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन।
- विधि आयोग अनुशंसा अनुसार (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा प्रणाली का गठन)
- विधि आयोग अनुशंसा अनुसार न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ का गठन।

प्रक्रियात्मक सुधार –

- न्यायालय में केस मैनेजमेंट प्रणाली (रोस्टर प्रणाली) में सुधार पर बल।
- ई कोर्ट पहल, वर्चुअल कोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक सरलता लाना।

व्यवहारात्मक सुधार –

- न्यायपालिका आचरण संहिता प्रति संवेदीकरण।
- न्यायधीश आचरण पर "बेंगलोर सिद्धांत" क्रियान्वन।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अच्छी प्रथाएं – उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक न्यायपालिका वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन।

भूतपूर्व महान्यायवादी शीतलवाड़ अनुसार न्यायपालिका में जनविश्वास बनाये रखने के लिए निरन्तर सुधार प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक ब्रिटिश प्रभाव के बावजूद, दोनों देशों की संवैधानिक योजना में कई अंतर हैं। चर्चा कीजिए।

Despite the considerable British influence in the making of the Indian Constitution, there are many differences in the constitutional scheme of both countries. Discuss.

भारतीय संविधान मे उत्तम वैश्विक प्रथाओ के साथ स्थानीय आवश्यकताओ की अभिव्यक्ति है, जिसमे ब्रिटिश संविधान प्रणाली से भी पर्याप्त समानता व भिन्नता के तत्व पाये जाते है।

भारतीय संविधान की ब्रिटिश प्रभाव उपस्थिति –

① भारतीय संसदीय प्रणाली व्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव से उत्पत्ति।

② प्रधानमंत्री सरकार की प्रमुखता वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित।

③ संसदीय जवाबदेहता प्रणाली ब्रिटिश प्रभाव का अभिलक्षण।

④ न्यायपालिका मे रिट प्रणाली ब्रिटिश संसदीय परम्परा पर आधारित।

⑤ राज्यसभा की भूमिका ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड प्रणाली पर आधारित।

⑥ मंत्रियो की नियुक्ति का प्रावधान ब्रिटिश परम्परा के समान

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(२) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुपालन ब्रिटिश प्रणाली के समान।

ब्रिटिश प्रभाव से भिन्नता।

भारतीय प्रणाली	ब्रिटिश प्रणाली
① संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित व्यवस्था	① संसदीय सम्प्रभुता आधारित प्रणाली
② लिखित संविधान व संघीय व्यवस्था।	② अलिखित संविधान व एकात्मक व्यवस्था का मॉडल।
③ न्यायिक समीक्षा की अवधारणा।	③ न्यायिक समीक्षा अत्यन्त सीमित होना।
④ गणतंत्र प्रणाली आधारित (राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित होना)	④ परम्परागत मुकुट का शासन होना।
⑤ प्रधानमंत्री लोकसभा (राज्यसभा) किसी भी सदन का सदस्य होना	⑤ प्रधानमंत्री केवल हाउस ऑफ कॉमन्स से सम्बन्धित।
⑥ राज्यसभा अपवादों के समान लोकसभा के समान व संघीय प्रतिनिधित्व का प्रतीक	⑥ हाउस ऑफ लॉर्ड्स अत्यन्त कमजोर सदन होना।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(7) प्रतिछाया कैबिनेट व्यवस्था का अभाव	(7) प्रतिछाया कैबिनेट व्यवस्था की उपस्थिति।
(8) मंत्री अपनी सलाह के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं	(8) विधिक उत्तरदायित्व (प्रतिहस्ताक्षर द्वारा)

इस प्रकार ब्रिटिश प्रभाव के साथ ही भारतीय संविधान पर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधानों को अपनाया गया है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. भारत में दबाव समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका के आलोक में, चर्चा कीजिए कि क्या ये पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए हैं।

In light of the role played by pressure groups in India, discuss whether they have become increasingly influential over the years.

ओडिगार्ड अनुसार, दबाव समूह एक प्रकार के संगठन हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिए बिना सरकार पर अपने हितों में नीति निर्माण के लिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

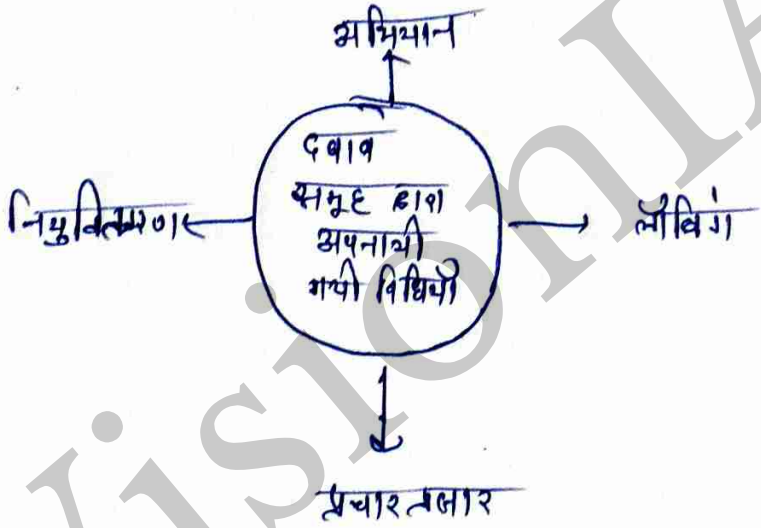

दबाव समूहों के प्रकार –

(A) एसोसिएशनल दबाव समूह (फिक्की, एसोचैम आदि)

(B) संस्थागत दबाव समूह (IPS एसोसिएशन, IAS एसोसिएशन

(C) असहयोगी दबाव समूह (जाति वर्ग आधारित)

(D) असामाजिक दबाव समूह (नक्सलवाद उग्रवाद)

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दबाव समूह की भूमिका -

सकारात्मक भूमिका - ① आमजन में जागरूकता व सामूहिक हितों को बढ़ावा देना।

② सरकार की जवाबदेहता सुनिश्चित करना उदाहरण मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा RTI कानून।

③ नीतिनिर्माण में सीमित वर्ग (पूंजीवादी वर्ग) स्थान पर व्यापक जन हित सुनिश्चित करना उदा. नर्मदा बचाओ आन्दोलन।

④ आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहन उदा फिक्की की GST सुधारों में भूमिका।

नकारात्मक प्रभाव - ① ये परम्परागत राजनेताओं की तरह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते उदा. नक्सलवाद तीव्रता

② आमजन विरोधी गतिविधियों में संलग्नता उदा. CBI की NGO सम्बन्धी रिपोर्ट।

③ सुशासन संचालन में बाधा उदा. किसान विरोध के कारण कृषि सुधार अधि. प्रभावित।

विगत कुछ वर्षों में प्रभाव - • जनता की सहभागिता दबाव समूहों के माध्यम से बढ़ना उदा RTI कानून।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अपने हित मे नीति निमार्ण उदा SEWA सोसायटी ने महिला हितो के कानून बनवाये।

- कृषक सुधारो का वापिस लाया जाना, किसान दबाव समूह के प्रयासो से।

- व्यापार सुविधा के लिए व्यापारिक समूहो का निरन्तर दबाव उदा. RCEP मे भारत ने भागीदारी न लेना।

दबाव समूहो का प्रभाव सकारात्मक संदर्भ मे बढाटे जाने व नकारात्मक संदर्भ के लिए आमजन मे जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय उन्नत प्रथाओ (USA पब्लिक डिस्क्लोजिंग एक्ट) अपनाई जानी चाहिए।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. भारत के संविधान में कैग (CAG) को सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है क्योंकि यह सरकार की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। चर्चा कीजिए।

The CAG is argued to be the most important office in the Constitution of India as it ensures the financial accountability and transparency of the government. Discuss.

भारतीय संविधान मे अनुच्छेद 148-154 मध्य संविधान मे कैग की व्यवस्था की गयी है, जो महालेखा परीक्षा व परीक्षण द्वारा सरकार की वित्तीय जवाबदेहता सुनिश्चित करता है।

CAG की भूमिका - • भारत सरकार व राज्य सरकारो की लोकलेखाओ, संचित निधि व्यय, आकस्मिक निधि व्यय सम्बन्ध लेखा परीक्षण करना।

• राज्यो के वित्त की लोक लेखा (प्रशासनिक कार्य) सुनिश्चित करना व परीक्षण (अर्द्ध न्यायिक कार्य)

• औचित्य लेखा परीक्षा द्वारा व्यय की निर्धारित प्रक्रिया के साथ व्यय की तर्क संगतता की भी जाँच करना।

• संसदीय लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र की भूमिका का निर्वहन करना।

• आमजन का सरकार के वित्तीय प्रशासन के संदर्भ मे विश्वास बढ़ाती करना।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

CAG संदर्भ में चुनौतियाँ –

① संघवाद भावना विपरीत (कैग केवल संसद प्रति उत्तरदायी जबकि राज्यलेखा परीक्षक के रूप में भी कार्य करता है।

② विधान की रचनावादि की आलोचना (कैग के समक्ष तकनीक वित्त प्रबन्धन सम्बन्ध जानकारी का अभाव)

③ प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही (शवपरीक्षण समान व्यय होने के पश्चात)

④ ब्रिटिश कैग प्रणाली समान नियन्त्रक की भूमिका का निर्वहन नहीं अपितु केवल लेखा परीक्षक।

⑤ कैग की नवीन भूमिका को आगे बढ़ाने में जटिलता

- जैसे कैग त्रुटि खोजी संस्था से तथ्य खोजी संस्था में परिवर्तन करना।
- लेखा परीक्षा में नवाचार (तकनीकी, पर्यावरणीय सामाजिक प्रभावो) को लेखाओं में शामिल करना)
- कैग की रिपोर्ट अनुशंसाओं में आमजन व स्थानीय निकायों तक विचार परामर्श साझा करना।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह – ० नीमा घोषणा पत्र अनुसार (कैग को जनता प्रति अधिक जवाबदेह बनाना)

• लेखा परीक्षण व लेखा निर्माण कार्य को पृथक करना।

• उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना।

इस प्रकार कैग की भूमिका सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप मे अधिक युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. भारत में स्थानीय सरकार के विकास को रेखांकित करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।

Tracing the evolution of the local government in India, highlight the changes brought about by the 73rd Amendment Act to the Panchayati Raj Institutions (PRIs).

स्थानीय सरकार प्रशासन का तृतीय स्तर व लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का आयाम है, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिक व्यापक बनाया गया था।

स्थानीय सरकार के विकास का रेखांकन

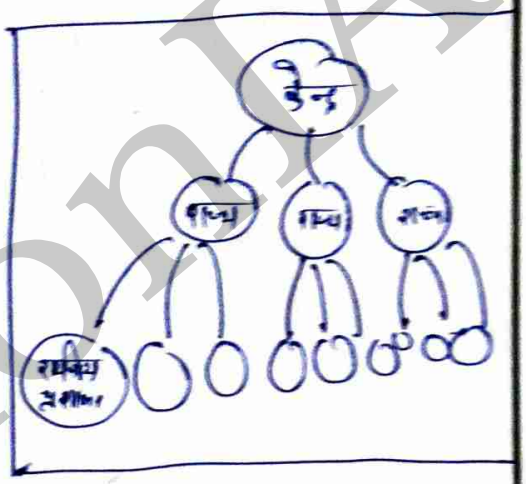

→ औपनिवेशिक समय से लार्ड मेयो व लार्ड रिपन के प्रस्ताव

→ रॉयल कमीशन ऑफ डिसेन्ट्रलाइजेशन (हॉब हाउस कमीशन) की स्थानीय शासन सम्बन्धी अनुशंसा।

→ भारत सरकार अधि. 1919 अंतर्गत स्थानीय प्रशासन हस्तांतरणीय विषय।

स्वतंत्रता पश्चात —

① सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित अशोक मेहता समिति द्वारा सर्वप्रथम द्विस्तरीय

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* त्रि स्तरीय स्थानीय शासन प्रणाली की अनुशंसा।

→ एल एम सिंघवी समिति का गठन पंचायती राज संस्थाओं में व्यापक सुधार के लिये किया गया। (त्रिस्तरीय प्रणाली अनुशंसा)

→ राजस्थान के नागौर में स्थानीय पंचायत प्रणाली का प्रारम्भ

→ पी के थुंगन समिति अनुशंसा अनुसार – त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था।

भाग 9A अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन

अनिवार्य प्रावधान	वैकल्पिक प्रावधान
① त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था	① पंचायतों से 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कार्य व वित्त का हस्तांतरण।
② तीनों स्तरों पर पंचायत चुनाव की व्यवस्था।	② पंचायत चुनाव की प्रक्रिया व अवधि निर्धारण।
③ 21 वर्ष चुनाव आयु सीमा निर्धारण।	
④ अनुसूची 11 अंतर्गत 18 विषयों में पंचायत कार्य निर्धारण	

VISION IAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत चुनाव)

राज्य वित्त आयोग (वित्त सम्बन्ध में गठन

⑥ महिलाओं के 33% आरक्षण व्यवस्था

⑦ SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण

⑧ पंचायत में अन्य वर्ग OBC आदि के लिए आरक्षण

⑨ राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग चुनावी आयोग की सेवा शर्तें निर्धारण।

2nd ARC अनुशंसा विश्लेषण —

- पंचायतों का वित्तीय सशक्तिकरण (वर्तमान 93% अनुदान पर निर्भर)
- उत्तम प्रणाली (केरल का कुडुम्बश्री द्वारा पंचायत सशक्तिकरण अपनाएं)

इस प्रकार PRI प्रणाली को अधिक मजबूत बनाकर सहभागी शासन सुनिश्चित किया जा सकता है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. ग्राम न्यायलय अधिनियम, 2008 की प्रमुख विशेषताओं को वर्णित करते हुए, भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

Bringing out the salient features of the Gram Nyayalyas Act, 2008, discuss its significance for India.

ग्राम न्यायलय ग्रामन्यायलय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत गठित मोबाइल कॉर्ट है, जो स्थानीय स्तर पर शीघ्र न्याय सुनिश्चित कर अनुच्छेद 39A भावना के क्रियान्वन का प्रयास करते है।

ग्राम न्यायलय अधि. 2008 प्रमुख विशेषताएँ -

→ राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायलयो के सहयोग से ग्राम न्यायल स्थापना का प्रयास।

→ ग्रामन्यायलय सिविल अपराधिक दोनो मामलो की सुनवाई कर सकते है।

→ साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो से बन्धे नही है।

→ ग्रामन्यायलय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त पर कार्य करते है।

→ ग्रामन्यायलयो का क्रियान्वन जिला स्तर से किया जाता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ ग्राम न्यायालय में न्यायिक सदस्य (जिला न्यायधीश स्तर का) व सामाजिक सेवोवर्गों दोनों की सहभागिता सुनिश्चित करना।

→ ग्राम न्याय ADR प्रणाली (वैकल्पिक विवाद समाधान) का भाग है।

ग्राम न्यायालयों का महत्व –

① अनुच्छेद 39 A (वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाने में महत्वपूर्ण)

② शीघ्र समाधान सुनिश्चित (प्राकृतिक न्यायसिद्धांत आधारित) समय व धन की बचत करते हैं।

③ बिन विन स्थिति के निर्णय द्वारा सामाजिक पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका (उदा. मध्य में ग्रामन्यायलयों के सकारात्मक परिणाम)

④ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण (वंचित वर्गों के निकट समाधान)।

⑤ न्यायिक बोझ कम करना (वर्तमान 5 करोड़ मामले लंबित)

इस प्रकार ग्रामन्यायालय बॉटम अप अप्रोच के साथ न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में क्रांतिकारी परिवर्तक है, जिन्हें अधिक सशक्त किया जाना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. 'पंथनिरपेक्षता' शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए, चर्चा कीजिए कि भारतीय संविधान के उपबंध किस प्रकार पंथनिरपेक्ष मूल्यों को दर्शाते हैं।

Explaining the meaning of the term 'secularism', discuss how the provisions of the Constitution of India reflect secular values.

पंथनिरपेक्षता शब्द से अभिप्राय भारतीय राज्य व धर्म व विविध पंथों के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध के अभाव मे भी, सभी धर्मों पंथों का राज्य द्वारा सम्मान किये जाने से है, जो की एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि धर्मनिरपेक्षता पूर्णतः विभाजन व दूरी के साथ नकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत करती है।

भारतीय संविधान के प्रावधान व पंथनिरपेक्षता –

भारतीय प्रस्तावना मे सभी के लिए विचार अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने का प्रावधान।

• मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत – अनुच्छेद 14–18 (समानता का सिद्धान्त) कानून समक्ष समानता (अनु 14)
अनुच्छेद 15–16 (जाति धर्म लिंग आधार पर भेदभाव का अभाव)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अनु-25-28 (धार्मिक स्वतन्त्रता के प्रावधान)

अनु 25 (धर्म अन्तःकरण की स्वतन्त्रता)

अनु 26 (सामुदायिक स्तर पर धर्म प्रबन्धन का अधिकार)

अनु 27 (धार्मिक करों शुल्कों से स्वतन्त्रता)

अनु 28 (धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता)

नीति निदेशक तत्वों • अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता की व्यवस्था)

इसके अतिरिक्त न्यायिक निर्णयों

• SR बोम्बई मामला (पंथनिरपेक्षता को भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का अंग घोषित किया जाना)

• अनु-29-30 (धार्मिक भाषायी अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति शिक्षा की सुरक्षा का अधिकार।

डॉ भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में

भारतीय संविधान स्वयं में धर्मनिरपेक्ष है व इसका प्रत्येक प्रावधान इसकी ओर इंगित करता है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. विधि का शासन बनाए रखने और न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए न्यायालय में वादों का समय पर निपटान अनिवार्य है। इस संदर्भ में, न्यायिक विलंब के लिए उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिए और इस मुद्दे का समाधान करने हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

Timely disposal of court cases is essential for maintaining the rule of law and providing access to justice. In this context, discuss the reasons behind judicial pendency and mention the steps taken to address this issue.

इण्डिया जस्टिस रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में न्यायालयों में 5 करोड़ मामले लम्बित है, एक निर्णय के निपटान में औसत 5-10 वर्ष का समय लगता है, जो दर्शाता है, कि न्यायिक विलम्ब न्यायतक पहुंच को बाधित कर रहा है।

समय पर वादों के निपटान की महत्ता —

- न्यायपालिका में आमजन का विश्वास बने रहने में महत्वपूर्ण।
- 'Justice Delay is Justice Denay" की परम्परागत अवधारणा के अनुरूप।
- SC 2013 मामले में स्पष्ट कहा न केवल 'न्याय होना चाहिए अपितु होता हुआ दिखना भी चाहिए।"
- संविधान का अधिदेश (अनुच्छेद 39A)

विलम्ब के कारण — (1) संरचनात्मक कारण —

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अनुसार न्यायधीशों की कम संख्या प्रति 10 लाख 120 न्यायधीश।
- अपर्याप्त अवसंरचना (नीति आयोग अनुसार 60% जिला कोर्ट में ई फाइलिंग व्यवस्था नहीं)
- न्यायिक अवकाश प्रणाली (13वें वित्त आयोग की अनुशंसा न्यायिक अवकाशों को कम करना)
- न्यायिक रिक्तियाँ (उच्च न्यायालय में 25% पद रिक्त होना)
- अपराधिक न्यायप्रणाली अधिक जटिल होना NCRB अनुसार न्यायालयों में दोषसिद्धि दर 40% बलात्कार मामले (27%)।
- न्यायधीशों की क्षमता निर्माण का अभाव।

समाधान के लिए उपाय –

① न्यायिक नियुक्तियों में तीव्रता (कॉलेजियम प्रणाली में सुधार (2nd ARC की अनुशंसा)

② विधि आयोग अनुसार SC की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना।

③ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण (विधि आयोग अनुशंसा)

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(५) ई कोर्ट प्रोजेक्ट का मिशन मोड क्रियान्वन (तीव्रता से वर्चुअल सुनवाई सुनिश्चित)

(६) फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाना।

प्रयास
- फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना (700 से अधिक)
- लोक अदालतों का सशक्तिकरण (NALSA द्वारा न्याय दीप ऐप)
- ई कोर्ट परियोजना का जिला स्तरीय क्रियान्वन)

अतः न्याय में शीघ्र सुलभ सरल बनाकर अनुच्छेद 39A भावना का अनुपालन किया जाना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. भारतीय संविधान में 'मूल संरचना के सिद्धांत' के महत्व और इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए।

Throw some light on the significance and limitations of the 'doctrine of basic structure' in the Indian Constitution.

मूल संरचना अवधारणा न्यायिक नवाचार है, जिसके अनुसार संविधान की अपनी कुछ मूल मूल विशेषताएँ है, जो संविधान के चरित्र का निर्धारण करती है, उन्हे परिवर्तित नही किया जा सकता (इसकी उत्पत्ति केशवानन्द भारती वाद मे हुयी)

मूलसंरचना अवधारणा का महत्व —

(1) संविधान की सर्वोच्चता बनाये रखने मे
उदा. NJAC अधिनियम निरस्त किया जाना।

(2) मौलिक अधिकारो की सुरक्षा करने मे
(फर्टिलाइजर कार्पोरेशनवाद मे अनु 32 को मूलभूत ढांचे मे रखना)

(3) विधायी प्रभुत्व स्थापना पर नियंत्रण रखने व नियन्त्रण सन्तुलन की भावना सुनिश्चित करने मे।

(4) संवैधानिक नैतिकता, संविधानवाद को बनाये रखने मे।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मूलभूत अवधारणा की सीमाएँ —

① स्पष्ट परिभाषा का अभाव जिससे विधायिका न्यायपालिका मध्य संघर्ष की स्थिति
उदा चुनावी बांड योजना का रद्द किया जाना।

② न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा (न्यायपालिका द्वारा मूलभूत ढांचे का निर्धारण किया जाना)

③ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन (न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण अनु 50 अंतर्गत)

④ न्यायमूर्ति के के वेणुगोपाल के शब्दों में न्यायपालिका तृतीय सदन के रूप में कार्य करना।

न्यायिक रूप से मूलभूत सिद्धांत केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं है, विधायिका कार्यपालिका के लिए भी महत्वपूर्ण जिसे सभी पक्षों को अपनी सीमाओं के भीतर अपनाना चाहिए।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. हालांकि भारत में राज्यों के राज्यपालों को अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन उन पर कुछ सीमाएं भी आरोपित की गई हैं। चर्चा कीजिए।

While a wide range of powers have been conferred on the Governors of states in India, there are certain limitations imposed on them as well. Discuss.

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 155-164 मध्य राज्यपाल की नियुक्ति व शक्तियों से संबन्धित है, जो वर्तमान समय में विविध कारणों वश चर्चा का विषय रहा है।

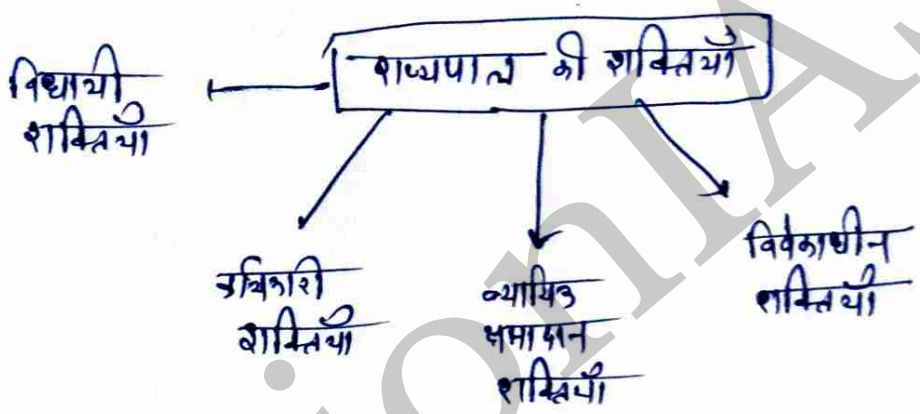

① विधायी शक्तियाँ -

- राज्यविधानमण्डल में राज्यपाल महत्वपूर्ण अंग है।
- सत्र को सम्बोधन करना (प्रथम आमचुनाव व प्रतिवर्ष)
- अनुच्छेद 200 अन्तर्गत राज्यविधेयक को अनुमति देना अथवा वीटो शक्ति
  - अत्यात्रिक वीटो
  - पॉकेट वीटो
  - निलम्बन वीटो

② कार्यकारी शक्तियाँ - राज्यसरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किया जाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ समाधान की शक्तियाँ अनु. 72 अंतर्गत राज्यपाल द्वारा समाधान की व्यवस्था।

④ विवेकाधीन शक्तियाँ -

अनु. 201 अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना।

अनुसूची-5-6 सम्बन्धित राज्यों के लिए विशेष प्रशासनिक शक्तियाँ।

अनुच्छेद 371 अंतर्गत कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार।

राज्यपाल शक्तियों पर सीमाएँ

- संविधान राज्यपाल को सलाह के लिए राज्यमंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है।
- समाधान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहमति से ही।
- विधानसभा सत्र मंत्रीपरिषद सहमति से बुलाया जाना (नबाम रेबिया वाद)

NCT दिल्ली वाद में (राज्यपाल को प्रतिनिधि सरकार की सहायता से ही कार्य करना चाहिए।

- राज्यपाल संघ के एजेंट रूप में न होना (एस आर बोम्मई वाद)
- राज्यपाल द्वारा आपातकाल (राज्य) की अनुशंसा की न्यायिक समीक्षा संभव।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार सरकारिया आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्यपाल के पद को अधिक प्रभावी निष्पक्ष बनाये जाने की आवश्यकता है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय निरीक्षण की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। इसे और अधिक मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

Discuss the effectiveness of Parliamentary oversight to ensure Executive accountability in India. What measures can be taken to further strengthen it?

भारतीय राजव्यवस्था मे संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाती है।

कार्यपालिका की जवाबदेहता की स्थिति –

→ संसदीय समितियो को विधेयक कम भेजा जाना
17वी लोकसभा = 26%
18वी लोकसभा = 11%

→ संसद की बैठको की संख्या कम होना
17वी लोकसभा = 330
18वी लोकसभा = 271

→ राज्यसभा की अप्रभावी भूमिका उदा. आधार विधेयक को धन विधेयक रूप मे पारित किया जाना।

→ संसद का अपराधीकरण ADR रिपोर्ट अनुसार 43% सांसदो विरुद्ध अपराधिक मामले लंबित।

→ सांसदो की उपस्थिति पर सीमित 17वी लोकसभा = 81%
18वी लोकसभा = 79%

→ प्रभावी रचनात्मक विपक्ष का अभाव।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- 3D (Discussion Deliberation Debate पर कम ध्यान (PRS रिपोर्ट अनुसार 45 विधेयक 10 मिनट की औसत अवधि में पारित)

अधिक मजबूत जवाबदेहिता के उपाय —

(a) संरचनात्मक उपाय
- शैडो कैबिनेट अवधारणा अपनाना
- संसदीय समिति प्रणाली को मजबूत करना
- युवा संसद जैसे नवाचारी उपाय
- अविश्वास प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव आदि का व्यापक प्रयोग

(b) प्रक्रियात्मक उपाय
- ई-संसदीय प्रणाली अपना
- संसद प्रक्रिया नियमों में न्यूनतम बैठक संख्या निर्धारण (संविधान समीक्षा आयोग अनुशंसा)

(c) व्यवहारात्मक सुधार
- सांसदों का संवेदनशील बनाया जाना
- सिविलसमाज द्वारा व्यक्तिगत सांसदों की जवाबदेही सुनिश्चित करना

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः संसद लोकतंत्र का आधारभूत स्तम्भ है, जिसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना का विवरण देते हुए, देश में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और व्यावसायिक परिवेश को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Giving an account of composition of the Competition Commission of India, discuss its role in ensuring fair competition and improving business environment in the country.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना नवउदारवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गयी है।

प्रतिस्पर्धा आयोग संरचना – • केन्द्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति किया जाना।

• न्यायिक व तकनीकी दोनों क्षेत्रों के सदस्यों की उपस्थिति।

प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका –

• बाजार में प्रभावी भूमिका के दुरुपयोग को रोकना
उदा. गूगल विरुद्ध एंटी ट्रस्ट लॉ अनुपालन।

• डिप प्राइसिंग, प्रिडेटरी प्राइसिंग जैसी अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा क्रियाओं के विरुद्ध कम्पनियों को दण्डित करना।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सभी कम्पनियों उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा का समता पूर्ण वातावरण व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।

- अप्रयुक्त कार्टेलाइजेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग आदि विरुद्ध निगरानी।

- उपभोक्ताओं ग्राहकों निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- बाजार में अनैतिक प्रतिस्पर्धाओं के संदर्भ में आमजन जागरूकता बढ़ाना।

- स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा द्वारा ease of doing को बढ़ाना व निवेशपरक वातावरण निर्माण करना।

प्रतिस्पर्धा आयोग की सीमाएँ –

- उभरती प्रौद्योगिकियों AI, मेटावर्स, IOT के प्रति पर्याप्त क्षमता का अभाव।

- कार्पोरेट मंत्रालयों व अन्य मंत्रालयों मध्य समन्वय का अभाव।

- प्रतिस्पर्धा आयोग की क्षमता निर्माण कुशल कर्मियों का अभाव।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः प्रतिस्पर्धा आयोग को उभरती प्रौद्योगिकीयों के प्रति अधिक सक्षम बनाकर स्वास्थ्य निवेशक प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Discuss the significance of the Representation of The People Act (RPA), 1951, in the smooth functioning of the Indian democracy.

भारतीय लोकतंत्र के सुचारु संचालन में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वयस्क चुनाव प्रक्रिया प्रणाली को निर्धारित करता है।

RPA अधिनियम महत्व — राजनीतिक दलों के पंजीकरण की अवस्था धारा 29A

→ भ्रष्टाचार आचरण आधार पर उम्मीदवारों का निष्कासन (2वर्ष से अधिक सजा पर) चुनावी अयोग्यता।

→ चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वन की नैतिक प्रोत्साहन।

→ चुनाव प्रचार प्रणाली (Exit PoL पर प्रतिबंध) द्वारा निष्पक्ष चुनाव संचालन सुनिश्चित करना।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- उम्मीदवारों को साम्प्रदायिक तनाव, धार्मिक उन्माद आदि में लिप्त पाये जाने पर निष्कासन की व्यवस्था।

RPA की सीमाएँ – (1) नयी उभरती प्रौद्योगिकी जैसे AI, सोशलमीडिया आदि के विनमय में असक्षम।

(2) कानूनी डमियों (दोषी व्यक्ति को आजीवन चुनाव सिविधि का प्रावधान न होना)

(3) चुनाव आयोग की अपर्याप्त शक्तियाँ (राजनीतिक दल के पंजीकरण रद्द न करने से सम्बन्धित)

(4) चुनावों में व्यापक जनभागीदारी सम्बन्ध में मौन।

अतः बदलती परिस्थिति अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधि को अधिक जनउन्मुख बनाये जाने की आवश्यकता है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। चर्चा कीजिए।

The 42nd Amendment Act brought forth a number of significant changes in the Indian Constitution. Discuss.

42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किये इसी कारण इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है।

42वां संविधान संशोधन अंतर्गत परिवर्तन —

(1) अधिकरण प्रणाली की व्यवस्था (अनुच्छेद 323A व 323B के अंतर्गत)

(2) मौलिक ~~अधिकारों~~ कर्तव्यों को जोड़ा जाना भाग 4 क अनुच्छेद 51(क)।

(3) नीतिनिदेशक सिद्धान्तों में नये DPSP जोड़ा जाना पर्यावरण संरक्षण, मुफ्त कानूनी सुविधा आदि।

(4) सातवीं अनुसूची अंतर्गत वन शिक्षा मानक प्रणालियाँ आदि को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया जाना।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ प्रस्तावना में नये शब्दों पंथनिरपेक्षता, अखण्डता समाजवाद को जोड़ा जाना।

⑥ राष्ट्रीय आपातकाल अन्तर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं की कार्यावधि सम्बन्धित प्रावधान जोड़ा जाना।

हालांकि सकारात्मक प्रावधान जो ४२वें संविधान संशो. द्वारा जोड़े गये उन्हें जारी रखा गया जबकि कुछ नकारात्मक प्रावधान जैसे न्यायिक समीक्षा शक्ति को सीमित किया जाना, आपातकाल निर्धारण की प्रक्रियावधि आदि को ४४वें संविधान संशो. अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार ४२वां सं. संशो. भारतीय संविधान के लिए युगान्तकारी अध्याय रहा।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. भारत की न्यायिक प्रणाली की संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) और यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) की न्यायिक प्रणाली के साथ तुलना कीजिए।

Compare the judicial system of India with that of the United States of America (U.S.A.) and the United Kingdom (U.K.).

भारतीय न्यायिक प्रणाली में अपनी उत्पत्ति में विशिष्ट है, जो USA, UK की न्यायिक प्रणालियों से विविध मामलों में समता व अंतर दोनों दर्शाती है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली	यू.एस.ए. की न्यायिक प्रणाली
① संघीय सिद्धांत पर आधारित एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना।	① संघीय न्यायप्रणाली पृथक: स्थापित।
② विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अधिक प्राथमिकता दिया जाना	② विधि की सम्यक प्रक्रिया पर आधारित होना।
③ न्यायिक समीक्षा की शक्ति USA प्रणाली की तुलना सीमित	③ भारतीय प्रणाली की तुलना न्यायिक समीक्षा की व्यापक संभावना।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (अनु 143) प्रावधान

(5) रिट क्षेत्राधिकार व्यापक

(4) इस प्रकार के प्रावधान का अभाव

(5) सीमित शक्ति।

भारतीय और यूके न्यायप्रणाली तुलना -

भारतीय न्यायप्रणाली	यूके न्यायप्रणाली
(1) संघीय सिद्धान्त पर आधारित एकीकृत न्यायप्रणाली।	(1) एकात्मक सिद्धान्त आधारित न्याय प्रणाली
(2) न्यायिक समीक्षा की शक्ति UK की तुलना में व्यापक	(2) संसदीय सम्प्रभुता सिद्धान्त पर आधारित न्यायिक समीक्षा शक्ति सीमित होना
(3) विधि की सम्यक प्रक्रिया व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों का पालन	(3) केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन
(4) रिट क्षेत्राधिकार	(4) रिट क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस मार्जन में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार भारतीय न्यायिक प्रणाली अपने आप में अद्वितीय है, जो भारतीय संविधान की अभिव्यक्ति करती है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है।

Discuss how the Indian Constitution ensures the independence of the Election Commission of India.

किसी भी लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष चुनाव होता है, इसी संदर्भ में भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 (भाग 15) भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की स्थापना का प्रावधान करता है।

संविधान व ECI की स्वायत्ता –

① कार्यकाल की सुविधा व सुरक्षा (6 वर्ष या 65 वर्ष का प्रावधान)

② नियुक्ति पश्चात सेवा शर्तों में अप्रभावी परिवर्तन संभव नहीं।

③ वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित।

④ ECI द्वारा स्वच्छ निर्वाचन का अधिदेश सुनिश्चित करना।

⑤ ECI को भारतीय न्यायाधीश के समान ही जटिल प्रक्रिया (महाभियोग) द्वारा ही हटाया जा सकता है।

⑥ पुनः नियुक्ति पर प्रतिबंध।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कमियाँ - ECI के लिए योग्यता निर्धारण का अभाव।

- नियुक्ति में कार्यकारी प्रभाविता (अनुपवर्णीवाद निर्णय विपरीत) नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री लोकसभा विपक्ष नेता का प्रावधान।

- कार्यकाल पश्चात सरकारी पद धारण करने पर प्रतिबंध का अभाव।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त में वेतन कार्यविधि भिन्नता।

आगे की राह - 2nd ARC अनुशंसा अनुरूप नियुक्ति समिति का गठन किया जाना।

→ अनुपूर्णवाद निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करना।

ECI को अधिक निष्पक्ष व प्रभावी बनाकर भारतीय लोकतंत्र प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. यद्यपि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, तथापि न्यायिक सक्रियता ने इस अवधारणा को धुंधला कर दिया है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Though there exists separation of powers between the Legislature and Judiciary, judicial activism has blurred that concept. Discuss in the context of India.

शक्तिपृथक्करण सिद्धान्त सरकार के विविध अंगो (कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका) को अपने अपने क्षेत्रों व सीमाओं में कार्य करने की अनुमति देता है

अनु 50 (DPSP) कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण

शक्ति पृथक्करण के प्रावधान —

अनु 51 (अंतर्गत प्रावधान)

अनु 121, 122 (न्यायपालिका आचरण पर संसद द्वारा चर्चा नहीं)
(संसदीय आचरण पर न्यायपालिका में चर्चा नहीं)

अनु 262 (अन्तर राज्यीय जल विवाद सम्बन्ध में न्यायिक हस्तक्षेप निषेध)

केशवानंद भारती केस (शक्तियों के पृथक्करण को मूल संरचना का भाग माना जाना।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

न्यायिक सक्रियता व शक्ति पृथक्करण धुंधला होना –

→ जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्याओं से न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को निर्देश।
उदा. कोल ब्लॉक आवंटन निरस्त।

→ न्यायिक समीक्षा द्वारा कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्रों में अधिदेश
उदा. चुनावी बांड योजना रद्द किया जाना।

→ विकासात्मक न्यायिक सक्रियतावाद व पर्यावरणीय न्याय से विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप
उदा. टी.एन. गोदावर्मन मामला (वन की परिभाषा)
एम के रंजीत सिंह बनाम भारत संघ (जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से सुरक्षा का अधिकार)

→ विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप (किहोतो होलोहान मामला अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह – → न्यायिक संयम को अपनाना
→ विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मध्य नियंत्रण सन्तुलन स्थापना।

जैसा "न्यायधीश कृष्णास्वामी अय्यर का कथन है कि यदि न्यायपालिका अनुशंसा करे तो स्वागत योग्य है, परन्तु आदेश दे तो संवैधानिक अतिक्रमण" इसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

VisionIAS